International Journal of Applied Research 2015; 1(3): 166-168

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2015; 1(3): 166-168
www.allresearchjournal.com
Received: 25-12-2014
Accepted: 21-01-2015

उमेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत

Corresponding Author:
उमेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत

शहरीकरणः अतीत और वर्तमान

उमेश कुमार

प्रस्तावनाः

शहर खुशहाली और प्रगति का द्योतक (पहचान) होता है। किसी भी राष्ट्र के विकास का मापदण्ड होता है। हम उसके शहरों के विकास को मापदण्ड बनाकर उसके प्रगति को देखते हैं। लेकिन शहरीकरण की प्रक्रिया की कहानी बड़ी लम्बी होती है। एक शहर कैसे बनता है, ये सवाल जितना हमें भ्रमित करता है उतना ही उत्सुकता भी पैदा करता है। शहर मानव की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। यह एक ऐसी यात्रा है, जिसका कोई अंत नहीं है। आपसे अगर कोई आपके पसंदीदा जगह के बारे में पूछे, तो हम अक्सर ऐसी जगहों का ही नाम लेते हैं जिनका एक इतिहास रहा है हम वेनिस, पेरिस, एम्सटर्डम या लंदन के बारे में सोचते हैं या फिर ऐसे किसी प्राचीन शहर के बारे में जिसे सहेज कर रखा गया हो। एक शहर को जीवंत और समकालीन होना चाहिए, ऐसे जहाँ इतिहास के साथ ऊर्जा और जिंदादिली का मेल होता हो। इसमें आपको हो सकता है रियो डी जेनेरियो या ब्यूनस आयर्स की याद हो आए, या फिर हांगाकांग, बर्लिन, न्यूयार्क या लॉस एंजेलिस की। हम एक ऐसे शहर का सपना देखते हैं जिसमें इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक जीवन का मिश्रण हो, जो समृद्ध हो, जिसमें रोमांचक विशेषताएँ हों ऐसे कोई बड़ी नदी, समुद्र तट, बंदरगाह, पर्वत श्रेणी और कम से कम एक ऐसा मौसम जो अच्छा और अनुकूल हो। हम ऐसे शहरों का सपना देखते हैं जहाँ अच्छा प्रशासन हो साफ सुथरा हो, भीड़भाड़ न हो, आवागमन आसान हो, हर जगह जाने की सुविधा हो।

भारतीय समाज में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही गांवों और शहरों का सह अस्तित्व रहा है। दोनों समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं। पांच हजार साल पहले बसी सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी बनावट की शुरूआत के प्रमाण देखे गये। इसके बाद मध्यकाल में भी सत्ता व्यवस्थाओं के उत्थान और पतन के फलस्वरूप शहरों की स्थापना की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया नजर आती है। कई बार इसे एक सांस्कृतिक व्यवहार के साथ भी जोड़कर देखा जाता रहा है। परिभाषा के स्तर पर व्यापार, उद्योग, राज्य और सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक व्यवस्था को चलाने के लिये शहरों के वजूद को अनिवार्य माना गया है। आधुनिक भारत में शहरीकरण का तेज और 18वीं सदी में तब देखा गया जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में आई। उसने व्यापार–उत्पादन के लिये बंदरगाहों का निर्माण किया और उनका विकास किया तथा भारत के गांवों के संसाधनों को लूटने के लिये शहरों को जरिया बनाया गया।

वे क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व उनके आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो और जहां मानवीय सुविधाओं की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है, शहरी क्षेत्र कहलाते हैं। एक शहरी क्षेत्र, शहर या कस्बा हो सकता है, पर ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि गांव और अर्ध ग्रामीण बस्तियाँ इसकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। शहरी क्षेत्रों का सीमा निर्धारण उस क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व और शहरी फैलाव के विश्लेषण और शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को निर्धारित करने में मदद करता है।

समकालीन भारत में शहरी क्षेत्रों का निर्धारण राज्य द्वारा होता है और इसके लिए विभिन्न राज्यों ने भिन्न–भिन्न मानदंडों का प्रयोग करते हैं। ये शहर, संविधिक शहर कहलाते है। तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करते हैं। इन शहरों का शासन अलग प्रकार की इकाइयों जैसे नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्रिय समिति अथवा निमम के द्वारा होता है। संविधिक शहरों के अलावा जनगणना के आधार पर भी शहरों को परिभाषित किया जाता है। जनगणना अधिकारी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को दो वृहत समूहों में विभाजित करते हैं–ग्रामीण एवं शहरी केन्द्र। इस वर्गीकरण का कानूनी या प्रशासनिक आशय नहीं होता है इसका उद्देश्य अकादमिक सुस्पष्टता एवं सामाजिक मानकों का सांस्कृतिक संदर्भ समझने के लिए किया जाता है। यह वर्गीकरण जनगणना निदेशालयों द्वारा स्वीकृत होता है। भारतीय जनगणना आकार एवं जनसंख्या के घनत्व के आधार पर तीन प्रकार के आवासों का निर्धारण करती हैः जगर, कस्बा एवं गाँव।

1. वह आवास जिसकी जनसंख्या 1,00,000 या अधिक हो वह नगर कहलाता है।
2. एक कस्बे की जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक होनी चाहिए तथा गाँवों की जनसंख्या 5,000 से कम होनी चाहिए।
3. नगर की स्थानीय शासन व्यवस्था नगरपालिका तथा गाँव की ग्राम पंचायत कहलाती है।

नगर एवं शहरों को एक साथ शहरों वर्ग में तथा शेष आवासों को ग्रामीण वर्ग में रखा गया है। नगर के मानदंड हैं– आकार, घनत्व, व्यवसाय–संरचना तथा प्रशासनिक व्यवस्था।

शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) शहरीकरण (नतइंदप्रंजपवद) कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी 'शहरीकरण' है। शहरी समुदाय लोगों का एक खुला संगठन है जिसमें व्यक्ति एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ जनसंख्या–घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा जीविका का साधन शिल्प, उद्योग या व्यापार होता है। शहरी जीन जटिल सामाजिक शक्तियों का प्रतिफल होता है। ये सामाजिक शक्तियाँ जनसंख्या के संवेग, ग्रामीणों के अप्रवास, संचार एवं यातायात के साधनों के विकास, व्यापारिक केंद्रों की अत्यधिक वृद्धि और औद्योगिकरण के प्रभाव से विकसित होती है।

संयुक्त राष्ट्र के मानव पुनर्वास केन्द्र (भ्नउंद त्मींइपसपजंजपवद ब्मदजतम) द्वारा किए गए अध्ययन में 'नगरों' की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा गया कि ''नई शताब्दी के नवीन नगरीय विश्व में नगरों, उपनगरों और समूहों में हमें से अधिकांश लोग निवास करेंगे और कार्य करेंगे, जहां प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए प्रदूषण उत्पन्न किया जाएगा, जहां राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में संघर्ष के कारण जबाल आएगा और अन्ततः वहीं वैश्विक और मानवीय सुरक्षा की वास्तविक जड़ें मजबूत होंगी।''

अमेरिकन एंथ्रोपॉलोजिस्ट राबर्ट रेडफील्ड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समुदायों का सुव्यवस्थित अध्ययन किया। इनका अध्ययन विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। इनकी दृष्टि में अल्प–विकसित समाजों में लघु समुदाय (गाँव) एवं विकसित समाजों में बृहत् समुदाय (शहर) का विकास होता है। गांवों की संस्कृति को उन्होंने सरल, अविकसित एवं स्थानीय माना जबकि शहरों की संस्कृति को जटिल, विकसित एवं सार्वभौमिक माना है। डेविड पोकोक ने बल देकर कहा है कि भारत में गांवों एवं पारंपरिक शहरों में कोई विभाजन नहीं है। दोनों एक समान भारतीय सभ्यता के तत्त्व हैं। दूसरी और पारंपरिक भारतीय शहरों एवं उपनिवेशिक भारतीय शहरों में बहुत सी विभिन्नताएँ विद्यमान हैं। जहाँ पारंपरिक भारतीय नगर भारतीय सभ्यता के दृष्टिकोण से बसाये गये हैं, वहीं औपनिवेशिक भारतीय नगर पाश्चात्य अथवा आधुनिकता के प्रभाव के वाहक हैं। दोनों प्रकार के नगर एक साथ दो अंगों के रूप में एक ही नगर संस्थिति के रूप में अस्तित्व में रह सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। पोकोक उन समाजशास्त्रियों का सुव्यवस्थित रूप से प्रतिकार करते हैं जिनका मानना है कि भारत में शहरीकरण का तात्पर्य जाति व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार के विखण्ड से है। उनका यह भी मानना है कि भारतीय संदर्भ में शहरीकरण का तात्पर्य जाति जाति व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार के विखण्डन से है। उनका यह भी मानना है कि भारतीय सन्दर्भ में शहरीकरण का तात्पर्य पश्चिमीकरण नहीं है। इसके विपरीत एम.एस.ए. राव का मानना है कि पोकोक ने भारतीय गाँवों एवं पारंपरिक शहरों में समानता को अतिरंजित कर दिया है। गाँव एवं शहरों की संसाि में संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विभिन्नताएँ है। उदाहरणस्वरूप, जहाँ गाँवों में जजमानी व्यवस्था होती है वहीं पारंपरिक शहरों में महाजन अथवा शिल्पसंघ प्रमुख हैं। जाति एवं सगोत्रता गाँवों और प्राचीन भारतीय शहरों में आम थे, परन्तु उनके संगठनात्मक स्वरूप में महत्त्वपूर्ण अन्तर थे। यह दर्शाना आवश्यक है कि पैक्स ब्रिटेनिका ने भारतीय जीवन में अलग प्रकार की नागरिक संस्कृति एवं शहरीकरण को प्रोत्साहित किया। इस शहरीकरण का प्रभाव पारंपरिक शहरों पर पड़ा। इस प्रकार की पारस्परिक अंतःक्रिया से ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के संदर्भ में एक नए प्रकार के संयुक्त परिवारों के स्वामित्व (संपत्ति) के संबंधों एवं पारस्परिक व्यक्तिगत व्यवहारों में अन्तर आया है। शहरों एवं गाँवों के बीच अन्तःक्रियाओं का स्वरूप कालक्रम में बदलता रहा है।

शहरीकरण विकास प्रक्रिया का ही एक अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन आर्थिक विकास की दृढ़ कसौटी है। पिछड़े हुए स्थिर समाज में शहरीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः धीमी होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में नगर सक्षम नहीं होते। किन्तु फिर भी ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की तरफ तेजी से पलायन रोजगार पाने के उद्देश्य से ही होता है और इस स्थिति में यह पलायन तब और तेज हो जाता है जब पूंजी गहन उद्योगों की बजाय श्रम गहन उद्योगों पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत शहरीकरण की गति धीमी तब होती है जब कुल जनसंख्या के अनुपात में शहरी जनसंख्या बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। यह स्थिति अभी कुल मिलाकर 30 देशों में आई है, जो विकसित औद्योगिक देश कहलाते हैं 20वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध भारत के लिए आर्थिक गतिरोध का काल रहा है।

शहरी समुदाय विभिन्न प्रकार के होते हैं। आकार की विभिन्नता के बावजूद कुछ निश्चित लक्षण पारंपरिक व सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पारंपरिक नगर प्रायः बड़ी–बड़ी दीवारों से घिरे रहते थे, ये किले–रूपी दीवारें शहरी समुदाय को ग्रामीण समुदाय से पृथक करती थीं। केन्द्रीय क्षेत्र प्रायः एक विशाल सार्वजनिक स्थल होता था और कभी–कभी दूसरी आंतरिक दीवार से घिरा रहता था जो बाजार का काम करती थी। मुख्य भवन सामान्यतः धार्मिक अथवा राजनीतिक रूपरूप के होते थे जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, राजमहल एवं अदालत। प्रशासक एवं कुलीन वर्ग के आवास मुख्यतः केन्द्र अथवा सके समीप होते थे तथा साधारण जनता नगर की परिधि के आस–पास निवास करती थी। केन्द्रीय क्षेत्र, जहाँ पर उत्सव के अवसर पर लोग जमा होते थे, में सारे लोग आसानी से एक साथ बैठ सकते थे। शहरों के विस्तार का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि और बाहरी लोगों का दूसरे गरीब देशों से प्रव्रजन था। 1911 में कुल शहरी जनसंख्या मात्र 11 प्रतिशत थी, जो 1941 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 30 वर्ष में शहरी जनसंख्या में वृद्धि मात्र 3 प्रतिशत रही। 1951 की जनगणना में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 17.3 प्रतिशत हो गई। इस वृद्धि का कारण वास्तविक न होकर संख्यात्मक अधिक था, क्योंकि 1951 की जनगणना में नगर की बड़ी उदार परिभाषा अपनाई गई। 1961 में नगर की परिभाषा पुनः सख्त कर दी गई। अतः 1951–1961 के बीच शहरी जनसंख्या में मात्र 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 1961 में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत हो गई। 1971 में अपनाई गई शहरी क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र को नगर क्षेत्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए–वह स्थान नगरपालिका, नगर निगम, छावनी या अनुसूचित नगर क्षेत्र हो। न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए। काम करने वाले पुरूषों की जनसंख्या का कम से कम 75 प्रतिशत गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी होना चाहिए। 1971 की जनगणना में नगर क्षेत्र की दी गई परिभाषा कुछ दृढ़ अवश्य है, परन्तु अन्य देशों की तुलना में यह परिभाषा फिर भी काफी अच्छी है। उदाहरणस्वरूप–जापान में 30,000 से अधिक जनसंख्या वाली जगहों को शहर माना जाता है। इसके सापेक्ष भारत की परिभाषा लचीली होने के बावजूद देश में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या

का 23.3 प्रतिशत थी, जो कि 1991 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गई। भारत में औद्योगिकीकरण की क्रिया द्वितीय योजना में ही प्रारम्भ हो गई थी परंतु शहरी जनसंख्या में वृद्धि तृतीय योजना तक कुछ भी विशेष नहीं हुई। यह विदित है कि द्वितीय और तृतीय योजना में भारी औद्योगिकीकरण की नींव डाली गई परंतु इसमें भारी एवं मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया। भारी एवं मूल उद्योग पूंजी गहन होते हैं। अतः इनकी रोजगार क्षमता काफी सीमित होती है। यही कारण है कि इनका विकास गांव में उत्पन्न श्रमशक्ति को शहरों में अवशोषित कर सके, और न ही इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अतः जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थ, उसे गति प्रदान नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप अपेक्षित औद्योगिकरण नहीं हो सका इसके अलावा 1971 की जनगणना में नगर क्षेत्र की सख्त परिभाषा करने के कारण जो थोड़ा बहुत शहरीकरण में प्रतिशत वृद्धि हुई थी वह भी दब गयी।

समकालीन भारत में शहरी समुदायों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. एक बड़ी जनसंख्या का छोटे क्षेत्र में केन्द्रीकरण सामाजिक विषमता को प्रेरित करता है। जनसंख्या घनत्व अपेक्षित लाभ के लिए प्रतियोगिता को प्रेरित करता है तथा इसके फलस्वरूप विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। नगर हमेशा से ही एक ऐसे बर्तन के समान रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोगों को आकर्षित करता है एवं उन्हें न केवल सहन करना है, बल्कि विशिष्ट स्थान देता है।
2. नगर में व्यक्ति प्रायः सघन सामाजिक नियंत्रण से मुक्त होते हैं। सामाजिक जीवन में विलगाव एवं अकेलापन शहरी देन है। बड़े शहरों में नियंत्रण की समस्या भी बढ़ जाती है एवं द्वितीय नियंत्रण के साधन जटिल हो जाते हैं। सामाजिक न्याय एवं सांस्कृतिक पहचान को कायम रखने के लिए दबाव समूह का महत्व बढ़ जाता है।
3. जनसंख्या घनत्व व आकार, सांस्कृतिक विभिन्नताएँ और सहज संपर्क स्वैच्छिक संस्थाओं के विकास के लिए नगर को एक आदर्श स्थान बना देते हैं। शहरों में सभी द्वितीयाक समूह एक प्रकार की स्वैच्छिक विशेषता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के समूह में सदस्यता रिश्तेदारी एवं प्रदत्त परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। शहरों में विभिन्न प्रकार के क्लब, संस्थाएँ एवं अपूर्व–स्वशासित संगठन पाए जाते हैं।
4. शहरी संगठन का द्वितीयक एवं स्वैच्छिक रूवरूप, अवसरों की बाहुल्यता एवं सामाजिक गतिशीलता, व्यक्ति को बाध्य करते हैं कि वह अपना निर्णय स्वयं ले एवं अपने भविष्य को नियोजित करे। शहरी जीवन की प्रतियोगिताएँ पारिवारिक देखभाल एवं वचनबद्धता के लिए बहुत कम अवसर देती हैं फलस्वरूप शहरी जीवन में स्वार्थ एवं व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है।
5. नगर सामाजिक गतिशीलता को चरितार्थ एवं प्रोत्साहित करते हैं। शहरों में विस्तृत एवं योजनाबद्ध श्रम विभाजन होता है। यह किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करके उसकी उपलब्धि पर निर्भर करता है। अपने जीवन काल में ही शहरी व्यक्ति अपने प्रयासों से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा व घटा सकता है। प्रतिष्ठा के लिए प्रतियोगिता नगरवासियों के लिए एक अन्तहीन कार्य बन जाती है। शहरी संगठन एक औपचारिक संगठन (जिसको क्षमता, दक्षता एवं नवीनता के आधार पर चुना जाता है) के द्वारा संचालित होता है। यह एक खुले वर्गीकरण को प्रोत्साहन देता है जिसकी विशेषता विजातीयता होती है।
6. शहरी जनसंख्या की विभिन्नता एवं अवैयक्तिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए शहरों में विचारों एवं रूचियों के विषय में एक निश्चित सीमा तक सहिष्णुता पाई जाती है। शहरों में एक निश्चित सीमा तक बाह्य समरूपता, शिष्टाचार एवं सुविन्न होती है। शहरों क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी एवं समृद्धि दोनों ही पाई जाती हैं। शहरी समुदाय में झुग्गी झोपड़ी एवं अभिजात क्लब अत्यधिक विषमता के मुख्य उदाहरण हैं। संस्थान, कानूनी, दफ्तर, बैंक इत्यादि भी नगर के केन्द्रीय भाग में ही पाए जाते हैं।
7. विषमतापूर्ण एवं क्रियाशील नगर में स्थान के लिए प्रतियोगिता एक प्रकार पृथक्करण को जन्म देती है जो वर्ग एवं क्रियाओं के आधार पर होता है एपं इसका स्वरूप स्थानिक होता है। शहरी क्षेत्र के केंद्र पर वित्त एवं शासन संबंधी क्रियाकलापों में लगी संस्थाओं का व्यवसायिक केंद्र खर्चीले शौकों की पूर्ति करते हैं। उदाहरणस्वरूप, बड़ी विभागीय दुकानें, थियेटर, बड़े होटल, आभूषण की दुकानें इन्हीं केंद्रों में स्थापित होती हैं अत्यधिक मंहगी व्यावसायिक सेवाएँ जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रशिक्षण आदि।

व्यक्ति और शहर का गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य ने सभ्यताओं के विकास के साथ–साथ नगरों का विकास किया। समय के अंतराल में शहरीकरण में अंतर आता गया। जनसंख्या के दबाव और मनुष्य की जरूरतों ने शहरीकरण के वास्तविक स्वरूप को बदल दिया। आज शहरीकरण मात्र बाजार के रूप में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं जबकि अतीत में शहरीकरण ने मनुष्य को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण और उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु स्थापित किए गए थे। मनुष्य के व्यवपहार में अन्तर नहीं होता था। लेकिन आज शहरीकरण को अकेलापन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, जनसंख्या व अन्य समस्यायों के रूप में जाना जाता है। जबकि प्रत्येक देश का शहर उसके विकास की पहचान होते हैं अतः हमें जरूरत है एक अच्छे स्वच्छ और सुन्दर शहरीकरण की जिसमें विकास तो हो लेकिन मानवीय मूल्य लुप्त न हो। अगर हम ऐसा शहर बना सकते तो मानव के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती।

संदर्भ सूची

1. Wikipedia.org,urbanization in india
2. Urbanization: Facts and Figures, www.unhabitat.org
3. Population density and urbanization, Introduction, Statistics, Standards and methods
4. Population density and urbanization, Introduction, Statistics, Standards and methods (http://unstats.un.org/unsd/demographic/densurb/).
5. World Urbanization Prospects (http://esa.un.org/unup/)
6. Kundu, Amitabh. Hnadbook of Urbanization, Oxford University Press, New Delhi 2006.
7. Bhattacharya P. Urbanization in Developing Countries, Economic and Political Weekly 2002, P4219-4228
8. Kundu A. Globalusing Gurarat: Urbanisation, Employment and Poverty, Economic and Political Weekly 2000;2:3173-3181.
9. Ministry of Rural Development. Water Harvesting and Artificial Recharge: Technical Document 2004.